

प्रेषक,

अरविन्द कुमार उपाध्याय,
पीठासीन अधिकारी,
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण,
बलिया।

सेवा मे,

महा निबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

विषय— स्थानान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में—

महोदय,

उपरोक्त वर्णित विषयक के संदर्भ में सविनय निवेदन है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेशानुसार मेरा स्थानान्तरण पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बलिया के पद पर किया गया है जिसके अनुपालन में दिनांक 23.04.2024 को मेरे द्वारा जनपद बलिया में पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण का पदभार ग्रहण कर लिया गया है।

ससम्मान निवेदन है कि मेरे पिता जी जो कि 80 वर्षीय वृद्ध है जो हृदय रोग तथा कुल्हे की हड्डी टूट जाने से पीडित है, साथ ही वर्तमान में उनकी एन्जियो प्लास्टिक सर्जरी करायी गयी है, जिस कारण मुझे पिता जी को नियमित चेक-अप हेतु लखनऊ ले जाना पडता है। जनपद बलिया में कार्यरत रहने के दौरान पिता जी के नियमित चेक-अप कराने में बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड रहा है। परिवार में पिता जी की देखभाल करने के लिए कोई अन्य सदस्य नहीं है।

महोदय जी से निवेदन है कि यदि मेरा स्थानान्तरण जनपद लखनऊ या पास के जनपद में कर दिया जाता है तो मैं अपने पिता जी के प्रति अपने दायित्वों का आसानी से पालन कर सकता और नियमित चेक अप होने से वह शारीरिक रूप से जल्दी स्वस्थ हो जायेंगे, जिससे मुझे मानसिक रूप से काफी संतुष्टि भी होगी और मैं अधिक कुशलता से न्यायिक कार्य सम्पादित करूंगा।

अतः माननीय महोदय से निवेदन है कि मेरा प्रार्थनापत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की कृपा करें।

सादर।

भवदीय,

A.K. Upadhyay 14/5/2024
(अरविन्द कुमार उपाध्याय)

पीठासीन अधिकारी

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
बलिया।

दिनांक— 14.05.2024